जे. जे.सूर्यकांत और सुधीर मित्तल के समक्ष,

गुरदीप सिंह-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य प्रतिवादी

सी. डब्ल्यू. पी. सं. 1374/2017

07 दिसंबर, 2017

हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टेम्पररी रिलीज) एक्ट, 1988-धारा 3-बिना किसी अन्य सामग्री के कैदी से मोबाइल फोन की बरामदगी-उसे 'कट्टर कैदी'के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता-पैरोल-रिहाई पर विचार करने के निर्देश के साथ निपटाई गई याचिका

पैरोल।माना जाता है कि हमने पक्षों के द्वारा विद्वान अधिवक्ता को सुना है और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।जबकि यह न्यायालय, किसी भी अनिश्चित शब्दों में, यह मानता है कि जेल के कैदियों को मोबाइल फोन या ऐसे अन्य उपकरण आदि रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिनका उपयोग अक्सर फिरौती की मांग, अपहरण आदि जैसे पेशेवर अपराधों को करने के लिए किया जाता है। तथापि, यह जेल सुधारों का एक अभिन्न अंग है कि कैदियों को अपने परिवार, करीबी और प्रियजनों से जुड़ने के लिए टेलीफोन सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।ऐसी सुविधा जेल अधिकारियों द्वारा लैंड लाइन नंबर (ओं) द्वारा से उपलब्ध कराई जा सकती है।इस पृष्ठभूमि में, यह प्रतिग्रहण करना करना मुश्किल है कि एक कैदी से मोबाइल फोन की बरामदगी, जिसके खिलाफ एक फुसफुसाहट भी नहीं है कि उसने कभी किसी को ब्लैकमेल करने या फिरौती मांगने के लिए फोन का दुरुपयोग किया या वह खुद को किसी अन्य प्रकार के अपराध में शामिल करता है, उसे 'कट्टर'कैदी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए पर्याप्त होगा।यह केवल उस मामले में है जहां कैदी को जेल के अंदर रहते हुए एक और अपराध करने के लिए

मोबाइल सुविधा का दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है, कि उसे 'कट्टर अपराधियों'की श्रेणी में रखा जाना चाहिए और पैरोल के उसके वैधानिक अधिकार से वंचित किया जाना चाहिए।याचिकाकर्ता, इस तरह के किसी भी आरोप की अनुपस्थिति में में, उस असाधारण श्रेणी में नहीं आता है।हम, इस प्रकार, प्रतिवादी द्वारा उठाई गई आपत्ति को दरकिनार करते हैं और सक्षम प्राधिकारी को कृषि पैरोल पर उसकी रिहाई के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने का निर्देश देते हैं।इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर उपयुक्त आदेश पारित किया जाएगा।

(पैरा 3)

रविंदर बांगर, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता गुरदीप सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के लिए

119

(सूर्यकांत, जे.)

कुलदीप तिवारी, एडिशनल।ए. जी., हरियाणा

सूर्यकांत, जे

(1) याचिकाकर्ता को पुलिस स्टेशन रादौर, जिला यमुना नगर में प्राथमिकी संख्या 69 दिनांक 01.05.2013 की धारा 148,149,302,120-बी और शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27/54/59 के तहत एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ उसकी दाण्डिक अपील इस अदालत में लंबित है।

(2) याचिकाकर्ता गांव दौलतपुर कालेसरा, तहसील जगाधरी, जिला यमुना नगर का स्थायी निवासी है और उक्त गांव में कृषि भूमि का मालिक है।गाँव के सरपंच, संलग्नक आर. टी.-1 द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के अनुसार, यदि याचिकाकर्ता को गेहूँ की फसल बोने के उद्देश्य से पैरोल पर रिहा किया जाता है तो क्षेत्र के निवासियों को कोई आपत्ति नहीं है।ऐसा प्रतीत होता है कि पैरोल देने के लिए अधिकारियों से

संपर्क करने के बजाय, याचिकाकर्ता सीधे इस अदालत में गया है।प्रतिवादी ने आज अदालत में हलफनामा-सह-लिखित बयान दायर किया है, जिसमें दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता को पैरोल पर रिहा नहीं किया जा सकता है क्योंकि जेल में रहते हुए उसकी हिरासत से एक मोबाइल सेट बरामद किया गया था, जो उसे 'कट्टर कैदी'की श्रेणी में रखता है।

(3) हमने पक्षों के द्वारा विद्वान अधिवक्ता को सुना है और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।जबकि यह न्यायालय, किसी भी अनिश्चित शब्दों में, यह मानता है कि जेल के कैदियों को मोबाइल फोन या ऐसे अन्य उपकरण आदि रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिनका उपयोग अक्सर फिरौती की मांग, अपहरण आदि जैसे पेशेवर अपराधों को करने के लिए किया जाता है। तथापि, यह जेल सुधारों का एक अभिन्न अंग है कि कैदियों को अपने परिवार, करीबी और प्रियजनों से जुड़ने के लिए टेलीफोन सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।ऐसी सुविधा जेल अधिकारियों द्वारा लैंड लाइन नंबर (ओं) द्वारा से उपलब्ध कराई जा सकती है।इस पृष्ठभूमि में, यह प्रतिग्रहण करना करना मुश्किल है कि एक कैदी से मोबाइल फोन की बरामदगी, जिसके खिलाफ एक फुसफुसाहट भी नहीं है कि उसने कभी किसी को ब्लैकमेल करने या फिरौती मांगने के लिए फोन का दुरुपयोग किया या वह खुद को किसी अन्य प्रकार के अपराध में शामिल करता है, उसे 'कट्टर'कैदी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए पर्याप्त होगा।यह केवल उस मामले में है जहां कैदी को जेल के अंदर रहते हुए एक और अपराध करने के लिए मोबाइल सुविधा का दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है, कि उसे 'कट्टर अपराधियों'की श्रेणी में रखा जाना चाहिए और पैरोल के उसके वैधानिक अधिकार से वंचित किया जाना चाहिए।याचिकाकर्ता, इस तरह के किसी भी आरोप की अनुपस्थिति में में, उस असाधारण श्रेणी में नहीं आता है।हम, इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा उठाई गई आपत्ति को दरकिनार करते हैं और सक्षम प्राधिकारी को याचिकाकर्ता के कृषि पैरोल मामले पर विचार करने का निर्देश देते हैं ।

इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर उपयुक्त आदेश पारित किया जाएगा।

(4) निपटारा किया गया।

संजीव शर्मा, संपादक

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देशय के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देशेयो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यावयन के उद्देशेय के लिए उपयुक्त रहेगा।

Anita Dagar